न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–26/2015

सरकार––––––––––––––––––**प्रति**––––––––––––––––छट्ठू गौड़ व अन्य।

मुकदमा अपराध संख्या–243/2014
धारा–306 भा0दं0सं0
थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

23.01.2025

(1). पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र–29ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 नियत है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुनी गयी।

(2). उक्त प्रार्थना पत्र 29ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 अभियोजन पक्ष की ओर से पेश करते हुए यह अभिकथन कर तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में पंचायतनामा तैयार करने वाले नायब तहसीलदार, विनीत कुमार को आरोप पत्र में साक्षी नहीं बनाया गया है। न्यायहित में न्याय निर्णयन हेतु साक्षी बनाया जाना परम आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि पंचायतनामा तैयार करने वाले नायब तहसीलदार, विनीत कुमार को साक्षी के रूप में तलब किये जाने का आदेश पारित करने कृपा की जावे।

(3). बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

(4). उभय पक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की बहन बेबी गौड़ को प्रताड़ित किया जिससे तंग आकर बेबी गौड़ को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने का आरोप है। हस्तगत प्रकरण में विवेचक द्वारा मृतका बेबी गौड़ का पंचायतनामा करने वाले विनीत कुमार, नायब तहसीलदार को साक्षी नहीं बनाया गया है, जबकि पंचायतनामा रिपोर्ट कागज सं0 10अ/2 के रूप में पत्रावली में संलग्न है। उक्त पंचायतनामा करने वाले नायब तहसीलदार, विनीत कुमार को तलब कर उनका साक्ष्य अंकित कराया जाना हस्तगत प्रकरण के गुण–दोष पर आधारित निर्णयन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक है। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, केवल मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

(5) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***इद्दार व अन्य–प्रति–आबिदा व एक अन्य, 2007 ए.एल.एल. एम.आर. (कि.) 2073 (एस.सी.)*** के मामले में सम्प्रेक्षित निर्णयज विधि के अनुसार जो साक्षी पक्षकारों के मध्य न्याय के लिए आत्यांतिक रूप से आवश्यक हो, उसे धारा–311 दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अन्तर्गत साक्ष्य हेतु तलब किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 29ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन–29ब अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। साक्षी विनीत कुमार, नायब तहसीलदार जरिए सम्मन तलब हों।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांकः–10.02.2025 को पेश हो।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480